

प्ररूप 4 क (3)
(नियम 9 देखिये)

कार्यालय
स्थायी प्रमाण पत्र (रा.)
रायपुर, (छ.ग.)
सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय

64

मंडल खरोरा जिला शयपुर छत्तीसगढ़

पुस्तक क्रमांक
सरल क्रमांक रा.मा.क्र. 330 / B/21/2014-15 दिनांक

- : सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण - पत्र :-

एतद्वारा, प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी नवीन

आत्मज / आत्मजा श्री परमानंद निवासी ग्राम बैलहार खिपरी


तहसील बिन्ना जिला शयपुर छत्तीसगढ़ छमी

जाति का / की सदस्य है इस जाति को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समय-समय पर पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/25/4/84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिमान्य किया गया है तथा यह जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची के अनुक्रमांक 39 पर अंकित है। अतः

श्री / श्रीमती / कुमारी नवीन पिता / पति / श्री परमानंद
अन्य पिछड़ा वर्ग का / की है।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री परमानंद क्रिमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36012/22/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 8.9.93 तथा संशोधित परिपत्र 36033/3/2004-स्था.(आरक्षण) दिनांक 14.10.2008 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-3/2001/1-3 दिनांक 24.06.2009 के कालम 3 में किया गया है।

3. यह प्रमाण-पत्र इन उपबंधों के अधीन जारी किया गया है कि यदि जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति अथवा उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति के द्वारा अपनी जांच / निरीक्षण में आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी नवीन / परमानंद के द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति का दावा असत्य अथवा कपटपूर्ण पाया जाता है तो यह प्रमाण - पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 के अधीन कार्यवाही की जावेगी।



10 OCT 2014

हस्ताक्षर
प्रमाणिकरण अधिकारी का नाम
रायपुर, (छ.ग.)
पदनाम